जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 09.07.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थाना प्रभारी बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** द्वारा गठित टीम द्वारा 217/2024 धारा 303, 317(2) BNS में वांछित अभियुक्त सोनू नट पुत्र कन्हैया नट साकिन कस्बा जीयनपुर ट्यूवेल के पास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को बहदग्राम बेलहसा नहर पुलिया तिराहा के पास से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

सोनू नट पुत्र कन्हैया नट साकिन कस्बा जीयनपुर ट्यूवेल के पास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

***बरामदगी का विवरण*–** एक अदद साइकिल लालरंग पुरानी

विवरण-

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 08.07.2024 को थाना बखिरा पर अपनी लाल रंग की साइकिल वादी के दरवाजे से दिनांक 1/2.07.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना बखिरा द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 09.07.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व साइकिल को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 हंसराज यादव, का0 राज कुमार ।

दबिश के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा** वारण्टी नाम पार्वती देवी पत्नी राजाराम निवासी अईंचाकाट थाना कोतवाली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी, म0का0 पुष्पांजली।

थाना धनघटा द्वारा वारण्टी नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र कमलेश निवासी ग्राम हैसर बाजार थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री उ0नि0 अवधेश कुमार साहनी, हे0का0 आनन्द दुबे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार

● *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 140 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 09.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 140 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के 01 अभियुक्त को 03 माह 15 दिवस के सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज 09.07.2024 को ***न्यायालय – सी0जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना मेंहदावल* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता प्रभुराम केवट@ प्रभू पुत्र श्रीराम केवट निवासी हर्दीपटटा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 8/20 एनडीपीएस के तहत 03 माह 15 दिवस के सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 20 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।